तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
23.01.2020	पत्रावली पेश हुई। वाकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र पर बहस की गयी। बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर जो करने के पश्चात् दिनांक 08.04.2013 को मौके व रेकर्ड की स्थिति बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी तत्तपश्चात् आज दिनांक तक प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं हुई। 212 के अन्तर्गत दिया जाना वाला अनुतोष त्वरित अनुतोष है। ताकि दोनो पक्ष वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार का वादग्रस्त भूमि पर बदलाव नहीं कर सकते। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि सहखातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की रोक लगाया जाना उचित नहीं है। अप्रार्थी एक अभिलिखित सहखातेदार है कानून उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। आज दिनांक तक अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से नुकसान नही पहॅूचाया गया है और न ही अप्रार्थीगणों की कोई ऐसी मंशा है। लिहाजा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश समाप्त किया जावे। दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। मनन किया गया। प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहॅूचता है कि वादग्रस्त आराजी गांव बड़ली नेड़ तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 589 रकबा 25 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 590 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं. 591 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 592 रकबा 04 बिस्वा जो संयुक्त खातेदारी की भूमि है दोनो पक्ष ताफैसला मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर	

Scanned by CamScanner